UPKU100012232016

**न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर**

**उपस्थितः–प्रतिभा भाग्यश्री उ०प्र०न्यायिक सेवा (UP3293)**

वाद सं०–3528/2016

सरकार बनाम नथुनी आदि

धारा–147, 323, 504, 506 IPC

थाना तुर्कपट्टी, जिला कुशीनगर।

**बयान मुल्जिम**

नाम–नथुनी पुत्र–अलगू उम्र–65 वर्ष लगभग

साकिन–धुनवलिया थाना–चौराखास जिला–कुशीनगर

**प्रश्न सं० 1–** क्या आपके द्वारा वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर कथित उक्त अपराध कारित किया गया और क्या आप उस अपराध की प्रकृति और परिणाम को भली–भाँति समझ रहे हैं। जिसका आरोप आपके उपर लगाया गया है?

**उत्तर –**

**प्रश्न सं० 2–** क्या आप स्वेच्छया अपने अपराध संस्वीकृति कर रहे है?

**उत्तर –**

**प्रश्न सं० 3 –** क्या आपको कुछ और कहना है ?

**उत्तर –**

**सुनकर तसदीक किया,**

**आदेश**

**दिनांक 29.06.2026**

अभियुक्त **नथुनी पुत्र अलगू** द्वारा समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि हम प्रार्थी अभियुक्त है और सम्बन्धित मामले को भली भाँति जानता है। हम प्रार्थी काफी गरीब, बीमार व वृद्ध व्यक्ति है। हम प्रार्थी और काफी बीमार रहते है और शारीरिक रूप से बहुत ही असहाय व अक्षम है। हम प्रार्थी बिना किसी दबाव व जोर जबरदस्ती के इकबालिया बयान जुर्म स्वीकार कर रहा हूँ। हम प्रार्थी को जूर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर विधिसम्मत कम से कम सजा/जुर्माना देकर मामले को समाप्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त नथुनी पुत्र अलगू के विरूद्ध धारा 147, 323, 504, 506 IPC के तहत संज्ञान लिया जा चुका है और अभियुक्त समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे है। अतः प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्त के जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णीत किये जाने योग्य है।

Digitally signed by Pratibha Bhagyashri
Date: 2026.06.29 16:27:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना। अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी काफी गरीब, बीमार व वृद्ध व्यक्ति है। हम प्रार्थी और काफी बीमार रहते है और शारीरिक रूप से बहुत ही असहाय व अक्षम है। हम प्रार्थी बिना किसी दबाव व जोर जबरदस्ती के इकबालिया बयान जुर्म स्वीकार कर रहा हूँ। दण्ड के प्रश्न पर सुनने व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त बहुत गरीब व्यक्ति है व अभियुक्त द्वारा समक्ष न्यायालय जुर्म स्वीकार किया गया है। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह संस्वीकृति करने के लिये बाध्य नहीं है। यदि वह संस्वीकृति करता है तो उक्त संस्वीकृति के आधार पर उसकी दोष सिद्ध हो सकती है। फिर भी अभियुक्त ने सब कुछ समझते हुये अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो तथा अपराध की प्रकृति व वाद की प्रचीनता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जुर्माने से दण्डित किया जाना न्यायसंगत है। अभियुक्त **नथुनी पुत्र अलगू** को उसके जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 147, 323, 504, 506 IPC के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्त **नथुनी पुत्र अलगू** को उसके जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद सं०–3528/2016, धारा 147, 323, 504, 506 IPC के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त **नथुनी पुत्र अलगू** को अंकन 1000/–रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांकः 29.06.2026**

(**श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री**)
**JO.Code–UP3293**
ए०सी०जे०एम०, कसया,
जिला–कुशीनगर।

UPKU100012232016

**न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर**

**उपस्थितः–प्रतिभा भाग्यश्री उ०प्र०न्यायिक सेवा (UP3293)**

वाद सं०–3528/2016

सरकार बनाम नथुनी आदि

धारा–147, 323, 504, 506 IPC

थाना तुर्कपट्टी, जिला कुशीनगर।

**बयान मुल्जिम**

नाम–प्रभु पुत्र–डुमई उम्र–51 वर्ष लगभग

साकिन–धुनवलिया थाना–चौराखास जिला–कुशीनगर

**प्रश्न सं० 1–** क्या आपके द्वारा वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर कथित उक्त अपराध कारित किया गया और क्या आप उस अपराध की प्रकृति और परिणाम को भली–भाँति समझ रहे हैं। जिसका आरोप आपके उपर लगाया गया है?

**उत्तर –**

**प्रश्न सं० 2–** क्या आप स्वेच्छया अपने अपराध संस्वीकृति कर रहे है?

**उत्तर –**

**प्रश्न सं० 3 –** क्या आपको कुछ और कहना है ?

**उत्तर –**

**सुनकर तसदीक किया,**

**आदेश**

**दिनांक 29.06.2026**

अभियुक्त **प्रभु पुत्र डुमई** द्वारा समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि हम प्रार्थी अभियुक्त है और सम्बन्धित मामले को भली भाँति जानता है। हम प्रार्थी काफी गरीब, बीमार व वृद्ध व्यक्ति है। हम प्रार्थी और काफी बीमार रहते है और शारीरिक रूप से बहुत ही असहाय व अक्षम है। हम प्रार्थी बिना किसी दबाव व जोर जबरदस्ती के इकबालिया बयान जुर्म स्वीकार कर रहा हूँ। हम प्रार्थी को जूर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर विधिसम्मत कम से कम सजा/जुर्माना देकर मामले को समाप्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त नथुनी पुत्र अलगू के विरूद्ध धारा 147, 323, 504, 506 IPC के तहत संज्ञान लिया जा चुका है और अभियुक्त समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे है। अतः प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्त के जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णीत किये जाने योग्य है।

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना। अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी काफी गरीब व बीमार व्यक्ति है। हम प्रार्थी और काफी बीमार रहते है और शारीरिक रूप से बहुत ही असहाय व अक्षम है। हम प्रार्थी बिना किसी दबाव व जोर जबरदस्ती के इकबालिया बयान जुर्म स्वीकार कर रहा हूँ। दण्ड के प्रश्न पर सुनने व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त बहुत गरीब व्यक्ति है व अभियुक्त द्वारा समक्ष न्यायालय जुर्म स्वीकार किया गया है। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह संस्वीकृति करने के लिये बाध्य नहीं है। यदि वह संस्वीकृति करता है तो उक्त संस्वीकृति के आधार पर उसकी दोष सिद्ध हो सकती है। फिर भी अभियुक्त ने सब कुछ समझते हुये अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो तथा अपराध की प्रकृति व वाद की प्रचीनता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जुर्माने से दण्डित किया जाना न्यायसंगत है। अभियुक्त **प्रभु पुत्र डुमई** को उसके जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 147, 323, 504, 506 IPC के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्त **प्रभु पुत्र डुमई** को उसके जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद सं०–3528/2016, धारा 147, 323, 504, 506 IPC के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त **प्रभु पुत्र डुमई** को अंकन 1000/–रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांकः** 29.06.2026

(**श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री**)
JO.Code–UP3293
ए०सी०जे०एम०, कसया,
जिला–कुशीनगर।